को पेश हो।

28/11/19

आज प्रतिदावी वादी का वकील वादी की दावा डिक्री वादोत्तर किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई। प्रतिदावी की दावा स्वीकार की जाती है। अग्रिम सुनवाई के एकपक्षीय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादपत्र की अग्रिम कार्यवाही रोकी जाकर डिक्री वादोत्तर वाद प्रतिदावी किया जाता है। पत्रावली प्रस्तुत हो। अग्रिम वाद प्रतिदावी किया जाता है। पत्रावली प्रस्तुत हो। सुनवाई हेतु।

अग्रिम तारीख

1/dey

विपन राम

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2019.12.03 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested